



कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 2324 / री.ए.डी.ए / 2021

इन्दौर, दिनांक 12-5-2021

// आदेश //

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

विषय— पंजीयन कार्यालय एवं इससे संबंधित व्यक्तियों के आवागमन संबंधी दिशा—निर्देश

(दिनांक 13 मई 2021 से प्रभावशील)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 2306-2307 / रीएडीएम / 2021 इन्दौर, दिनांक 8-5-2021 द्वारा जनता कर्फ्यू लागू कर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। इन मुक्त गतिविधियों में निम्न गतिविधि को सम्मिलित किया जाता है :-

- 1- इन्दौर जिले के समस्त पंजीयन कार्यालय अपने अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति एवं कर्मचारियों की 10 से 25 प्रतिशत तक की उपस्थिति के साथ सुबह 10 बजे से सांय 5 बजे तक संचालित हो सकेंगे साथ ही इस कार्य हेतु संलग्न व्यक्ति / अधिकारी / कर्मचारी / वेंडर आदि को अपने निवास से कार्य-स्थल तक आवाजाही में छूट रहेगी।

शेष आदेश यथावत रहेगा।

(मनीष सिंह)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 12-5-2021

पृ०क्र० / 2325 / री०ए०डी०एम० / 2021

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 2- आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
- 3- पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
- 4- उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
- 5- आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
- 6- समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी / अपर कलेक्टर, इन्दौर
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
- 8- समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
- 9- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर।
- 10- एस०डी०ओ०(पी) नगर पुलिस अधीक्षक (समस्त),, इन्दौर